कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

प्रार्थी **सर्वश्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, कसेरठ बाजार, हापुड़।**

प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक **035 / 13, 05.08.2013**

प्रार्थी की ओर से **कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, कसरेठ बाजार, हापुड़ द्वारा दिनांक 05.08.2013 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा पृच्छा की गयी है कि ' बर्तन टोकरा ' और ' बर्तन स्टैण्ड ' पर कर की दर क्या होगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को दिनांक 25.09.2013 के लिए नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 30.10.2013 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। एक लिखित उत्तर दिनांक 07.11.2013 को प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि मेरे लिखित उत्तर के आधार पर निर्णय देने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा अपने लिखित उत्तर में कहा गया कि उनके द्वारा स्टील के तार व पत्ती से बने हुए ' बर्तन टोकरा ' व ' बर्तन स्टैण्ड ' की बिक्री की जाती है जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शिड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-07 पर अंकित सभी प्रकार के बर्तन के अन्तर्गत 4% की दर से करयोग्य होने चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ' बर्तन टोकरा ' व ' बर्तन स्टैण्ड ' बर्तनों का बर्तन है। इसका प्रयोग केवल बर्तन रखने के लिए होता है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सन्दर्भित वस्तुएं हार्डवेयर के अन्तर्गत भी आती हैं। इसके पूर्व तार के बुने तार जाली को धारा-59 के अधीन हार्डवेयर के अन्तर्गत मानते हुए 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-1279, दिनांक 27.08.2013 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार बर्तन टोकरा एवं बर्तन स्टैण्ड उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की किसी भी कर अनुसूची में वर्णित नहीं है। इस सन्दर्भ में Kitchen utensil के सम्बन्ध में Wikipedia में परिभाषा दी गयी है जिसकी प्रति प्रेषित की गयी है तथा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अनुसार करदेयता होने का मत व्यक्त किया गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा सन्दर्भित वस्तुओं को स्वयं 'बर्तन का टोकरा' एवं ' बर्तन स्टैण्ड ' कहा जा रहा है। ये दोनों वस्तुएं कामन पारलेन्स में बर्तनों से भिन्न हैं। utensil का तात्पर्य बर्तनों से ही होता है। Wikipedia में दी गयी परिभाषा के अनुसार utensil 03 श्रेणी के होते हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

1. Kitchen utensil, one of the tools of cooking and baking-cookware and bakeware
2. Eating utensil, a tool for shaping and carrying food to the mouth

......2

3. A tool serving a set purpose

'बर्तन का टोकरा' व 'बर्तन स्टैण्ड' उपरोक्त में किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के डिवीजन बेन्च के निर्णय कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स बनाम मेसर्स अग्रवाल टिन सप्लाई कम्पनी-1976 UPTC पेज-583 में utensil की परिभाषा पर विचार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि लोहे के बने ड्रम व टिन utensil की श्रेणी में नहीं आते हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बर्तन का टोकरा एवं बर्तन स्टैण्ड utensil की श्रेणी में आच्छादित नहीं है। जहॉ तक इनके हार्डवेयर होने का प्रश्न है, पूर्व में पारित धारा-59 के निर्णय में 'धातु की जाली' को 'हार्डवेयर' की श्रेणी में माना गया था, किन्तु 'धातु की जाली से निर्मित वस्तुए' हार्डवेयर की श्रेणी में आच्छादित नहीं हैं।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्को, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि 'बर्तन का टोकरा' एवं 'बर्तन स्टैण्ड' न तो कामन पारलेन्स में और न ही सामान्य व्यापारिक जगत में बर्तन की श्रेणी में माने जाते हैं। सन्दर्भित वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की कर अनुसूची-I, II, III एवं IV में सम्मिलित नहीं हैं। अत: 'बर्तन का टोकरा' व 'बर्तन स्टैण्ड' पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2013

ह0 / 12.12.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।